8-9-5 पत्रा. देव डी.आई. के समिति सदस्य. कुमेर नहीं।
रेलवे. का अनुरूप डी.आई. के समिति सदस्य
को 3-4 बार आवाज दिया गया लेकिन
प्राप्त नहीं हुआ। पुनः अदालत लाकर आपके से
आवाज दिया गया लेकिन कोई प्राप्त
नहीं हुआ। अतः अपील खारिज अदम हाजी.
के अदम पैरवी से खारिज की जाती है
निर्णय सुनाया होकर बाद तामील तामीर
पत्रा. दाखिल दफ्तर हो।